कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/567/पीए/ 2020/ इन्दौर,दिनांक 27/5/2020

//आदेश//

(The Epidemic Disease Act, 1897 एवं मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटीफिकेशन No. PS/Health/17/Medi-3/595 Bhopal 23-3-2020 के माध्यम से प्रदत्त अधिकारों के तहत्)

(केन्द्र एवं राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय कार्यालयों के संचालन के संबंध में आदेश)

जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को The Epidemic Disease Act, 1897 के तहत प्रदत्त अधिकारों के तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटीफिकेशन No. PS/Health/17/Medi-3/595 Bhopal 23-3-2020 के माध्यम से प्रदत्त अधिकारों के तहत् **मैं मनीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** संतुष्ट हूँ कि इन्दौर शहर में करोना कोविड–19 संक्रमण से निजात पाने के लिए एवं इन्दौर जिले के **समस्त केन्द्र एवं राज्य शासन के कार्यालय, समस्त शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय कार्यालयों के साथ–साथ पूर्व में जिन–जिन कार्यालयों/संस्थानों यथा–बैंक, बीमा कंपनी आदि को अनुमति जारी की गई है, के संचालन हेतु** समुचित कार्यवाही की जाना आवश्यक है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/1430–31/रीएडीएम/2020 इन्दौर, दिनांक 26–5–2020 द्वारा समस्त शासकीय कार्यालयों के संचालन की अनुमति कुछ निर्देशों के साथ जारी की गई है। इस तारतम्य में सभी कार्यालय प्रमुखों को वर्तमान करोना कोविड–19 के संक्रमण के चलते अत्यंत सावधानी बरतना आवश्यक है एवं निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का अनुरोध है–

1– जिन शासकीय/अर्द्ध–शासकीय कार्यालयों में कार्यालयीन समय अलग–अलग समय में बांटा जा सकता है, वहॉ कर्मचारियों को अलग–अलग समय पर बुलाया जावे।

2– सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठने की दूरी इस प्रकार हो कि दो व्यक्तियों के बैठने की दूरी 2 मीटर से कम न हो।

Scanned with CamScanner

3– प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी अनिवार्यतः सर्जीकल मास्क का उपयोग करेगा तथा गमछा, रूमाल इत्यादि को मास्क के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं रहेगी।

4– कार्यालयों में कोई भी व्यक्ति मास्क को मुंह से नीचे उतारकर बात नहीं करेगा तथा हर व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि जब सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा हो तब वह मास्क पहनकर रहे।

5– कार्यालयों में कोई भी गुटका, तम्बाकू आदि का उपयोग नहीं करेगा तथा कार्यालय में किसी भी स्थान पर थूकने आदि के निशान न रहे।

6– कार्यालय के विभिन्न स्थानों पर अथवा कर्मचारियों के बैठने के हॉल के बाहर अनिवार्यतः सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाय। यह व्यवस्था किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सेनेटाईजर देकर अथवा कार्यालय के प्रमुख स्थानों पर सेंसर सेनेटाईज मशीन लगाकर सभी व्यक्तियों के लिए सेनेटाईज की शत–प्रतिशत व्यवस्था की जा सकती है।

7– कार्यालय में कोई भी ऐसा कर्मचारी ड्यूटी पर न आए, जिसे सर्दी, खांसी, बुख़ार हो ताकि अन्य कर्मचारी सुरक्षित रह सकें।

8– कार्यालय के सभी वाशबेसीन नल सहित चालू हालत में रहें तथा उसमें पानी की व्यवस्था रहे साथ ही वाशबेसीन से लगकर लिक्विड सोप डिस्पेंसर अनिवार्यतः लगाया जाय ताकि सभी समय–समय पर साबुन से भी हाथ धो सकें।

9– सभी कार्यालयों की साफ–सफाई पर विशेष सावधानी बरती जाय तथा आवश्यक केमिकल्स का उपयोग किया जाय ताकि शौचालयों के माध्यम से होने वाले संक्रमण का भी रोका जा सकें।

10– सभी कार्यालयों में थर्मलगन समुचित संख्या में अनिवार्य रूप से रहे तथा प्रातः 10 बजे से लेकर सांय कार्यालयीन समय तक अनिवार्यतः सभी द्वारों पर थर्मलगन के साथ एक कर्मचरारी रहे, जो प्रवेश करने वाले सभी शासकीय एवं अशासकीय व्यक्तियों का टेम्प्रेचर थर्मल गन से कर सकें। थर्मलगन का उपयोग अत्यंत सुविधाजनक है, फिर भी कोई मार्गदर्शन लेना चाहें तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ डॉ अनिल डोंगरे, मोबाईल नंबर 9425077060 से फोन पर प्राप्त कर सकते है।

Collector & District Magistrate
सत्यमेव जयते
Dist. Indore, INDORE (M.P.)

Scanned with CamScanner

11— जिन कार्यालयों में चिकित्सक मौजूद है उन कार्यालयों को चिकित्सकों को पल्स आक्सीमीटर एवं थर्मलगन के साथ चिकित्सकीय परीक्षण मापदण्डों के साथ किया जावे।

12— जिन कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जा रही थी, उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित किया जावे।

12— प्रत्येक विभाग चाहे वह अर्द्ध—शासकीय या शासकीय हो अपने विभाग में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर के उक्त निर्देशों के पालन हेतु समुचित निर्देशों के साथ एक नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाएंगे तथा उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि उक्त निर्देशों का शत—प्रतिशत पालन उस विभाग में हो।

चूँकि यह आदेश The Epidemic Disease Act, 1897 के तहत प्रदत्त अधिकारों के तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटीफिकेशन No. PS/Health/17/Medi-3/595 Bhopal 23-3-2020 के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया जा रहा है, जिसका पालन करना समस्त शासकीय एवं अर्द्ध—शासकीय विभागों, केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों को करना अनिवार्य होगा। जिला दण्डाधिकारी के उक्त निर्देशों का पालन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं इस हेतु नगर निगम, इन्दौर को पृथक से आदेश जारी कर मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटीफिकेशन No. PS/Health/17/Medi-3/595 Bhopal 23-3-2020 में प्रदत्त शक्तियों के तहत् स्पाट फाईन करने के आदेश दिए जा रहे हैं। सभी विभागों के नोडल अधिकारी, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर की ओर से जो निर्देश हो का समुचित पालन में सहयोग प्रदान करेंगे एवं उक्त निर्देशों का किस प्रकार से पालन हो रहा है, उस संबंध में प्रारंभिक जॉचकर्ता अधिकारी को संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आज दिनांक 27—5—2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।
(आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा अनुमोदित)

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला इन्दौर,

Scanned with CamScanner

पृ.क./568 पीए/2020 इंदौर दिनांक 27/5/2020

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।

2– प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।

3– आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर ।

4– पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ।

5– पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर

6– आयुक्त, नगर निगम इन्दौर

7– अपर कलेक्टर/अपर जिला दण्डाधिकारी समस्त (नियमित/संलग्न)

8– समस्त कार्यालय/विभाग प्रमुख..

9– समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)

10– अधिष्ठाता, एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज, इन्दौर

11– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इन्दौर– संबंधित अस्पतालों को अवगत करवाने हेतु।

12– अधीक्षक, एम0वाय0एच0 इन्दौर

13– उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

14– प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

Collector & District Magistrate
सत्यमेव जयते
Dist. Indore, INDORE (M.P.)

Scanned with CamScanner